नीलाम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत शामली के क्षेत्रान्तर्गत खनन परिवहन शुल्क वूसली का ठेका दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक के लिए दिनांक 22.02.2019 को कार्यालय जिला पंचायत शामली में मध्यान्ह 12 बजे से नीलाम किया जायेगा। इच्छुक बोलीदाता को नीलाम से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा जारी वैध चरित्र प्रमाण पत्र, रूपये बीस लाख का हैसियत प्रमाण पत्र के साथ–साथ जमानत के रूप में रू0 500000/– का बैंक ड्राफ्ट जो अपर मुख्य अधिकारी के पक्ष में होगा, जमा करना होगा। ठेके की धनराशि रू0 1 करोड तक होने की स्थिति में पूरी धनराशि एक मुश्त जमा करना अनिवार्य होगा।

अपर मुख्य सचिव, पचांयती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पत्रांक संख्या 623/33–2–2018–114जी/टी0सी0 दिनांक 15.02.2018 के अनुपालन में खनन परिवहन शुल्क वसूली केवल वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत वैध खनन उद्गम स्थल से ही बिना बैरियर लगाये की जायेगी। इस हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग अथवा किसी भी प्रकार के मार्ग पर बैरियर लगाकर अथवा किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर इन मार्गो पर वसूली नही की जायेगी। उद्गम स्थल एवं अन्य संबंधित शर्ते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला पंचायत में अथवा www.shamli.nic.in पर देखी जा सकती है। उक्त तिथि को नीलाम न होने की दशा में पुनः नीलाम दिनांक 27.02.2019 को मध्यान्ह 12 बजे किया जायेगा।

(मुकेश जैन)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत शामली।

5/8

कार्यालय जिला पंचायत, शामली।

पत्रांक– /जि0पं0शा0/2018–19 दिनांक 02-02-2019

प्रतिलिपि–

1. मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत शामली को सादर सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय, शामली को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी शामली को सादर सूचनार्थ।
4. जिला सूचना अधिकारी, शामली को इस अनुरोध के साथ कि यह विज्ञप्ति एवं नीलाम शरायतों को शासकीय वेबसाईट www.shamli.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. नीलाम समिति के सदस्य कार्य अधिकारी/अभियंता/वित्तीय परामर्शदाता को इस आशय के साथ कि वह नीलाम के समय से सम्पन्न कराये।
6. संपादक दैनिक समाचार पत्र 'दैनिक जागरण' व 'अमर उजाला' शामली को इस आशय से कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को अपने अगले स्थानीय अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित कर प्रकाशन की 4 प्रतियों के साथ बिल कार्यालय में भेजने का कष्ट करें।
7. सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत शामली।

D:\OFFICE new\नीलाम निविदा संबंधी सूचना

खनन परिवहन शुल्क वसूली का ठेका/लाईसेन्स की सार्वजनिक नीलामी की नीलाम शर्ते

1. खनन परिवहन शुल्क वसूली के ठेके/लाईसेन्स की अवधि सार्वजनिक नीलाम चार्ज लेने की तिथि से 31.03.2020 तक होगी।
2. सार्वजनिक बोली में वही व्यक्ति/फर्म/संस्था भाग ले सकता हो जो जिला पंचायत शामली का बकायेदार न हो।
3. किसी व्यक्ति अथवा फर्म को सार्वजनिक नीलाम में भाग लेने से पूर्व जमानत के रूप में धनराशि मु0 5 लाख रू0 का बैंक ड्राफ्ट जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत शामली के पदनाम से जमा करनी होगी। सार्वजनिक नीलाम में यदि किसी फर्म द्वारा भाग लिया जाता है तो नोटरी द्वारा प्रमाणित साझीनामा/इकरारनामा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. किसी व्यक्ति अथवा फर्म द्वारा नीलाम में भाग लेने हेतु जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र तथा न्यूनतम 20 लाख रू0 धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. किसी व्यक्ति अथवा फर्म द्वारा खनन परिवहन शुल्क वसूली के संबंध में यदि कोई वाद जिला पंचायत के विरूद्ध किसी न्यायालय में योजित किया गया हो या विचाराधीन हो, तो उसको वापस लेने के बाद ही वह व्यक्ति/फर्म सार्वजनिक नीलाम में भाग ले सकता है।
6. ठेके की धनराशि रू0 1 करोड तक होने की स्थिति में पूरी धनराशि एक मुश्त जमा करना अनिवार्य होगा। रू0 1 करोड से अधिक की धनराशि की स्थिति में रू0 1 करोड की धनराशि तत्काल जमा की जायेगी। इसके ऊपर की शेष धनराशि 2 समान किश्तो में जमा की जायेगी। जिसकी प्रथम किस्त 30 जून एवं द्वितीय किस्त 30 सितम्बर तक जमा करनी होगी। किश्त जमा न करने पर ठेका निरस्त अथवा जमा धनराशि जब्त हो जायेगी एवं पुनः ठेके छोडने में यदि जिला पंचायत को कोई क्षति होती है तो उसकी वूसली ठेकेदार से भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी।
7. नीलाम समिति द्वारा ठेका/लाईसेन्स की धनराशि जिला पंचायत अध्यक्ष की स्वीकृति की प्रत्याशा में जमा करायी जायेगी। जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना मात्र उच्चतम बोली के आधार पर ही नीलामी स्वीकृत नही मानी जायेगी।

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत, शामली

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, शामली

अध्यक्ष
जिला पंचायत, शामली

यदि जिला पंचायत किसी कारणवश नयी नीलामी का निर्णय लेती है तो ऐसी दशा में किसी भी प्रकार का विधिक लाभ/अधिकार प्राप्त नही होगा।

8. खनन परिवहन शुल्क वसूली के लाईसेन्सी/ठेकेदार द्वारा वसूली की कार्यवाही जिला पंचायत द्वारा जारी रसीद बही पर करना अनिवार्य होगा। जिला पंचायत नियमानुसार रसीद बही का मूल्य प्राप्त कर लाईसेन्स रसीद बही जारी करेगी। रसीद के प्रतिपर्ण को जिला पंचायत में वापस करना अनिवार्य होगा।
9. कोई भी व्यक्ति/फर्म जिनके नाम ठेका/लाईसेन्स स्वीकार किया गया हो वह अन्य किसी व्यक्ति/फर्म को हस्तांतरित नही करेगा। यदि उक्त शिकायत प्राप्त होती है तो जांचोपरान्त शिकायत सही पाये जाने पर ठेका तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
10. यदि उक्त ठेके/लाईसेन्स के संबंध में यदि किसी न्यायालय में कोई वाद योजित/विचाराधीन हो तो ठेकेदार/लाईसेन्सी को अपने कार्यकाल तक जिला पंचायत के साथ मिलकर पैरवी पूर्ण सहयोग करना होगा।
11. किसी व्यक्ति/फर्म को ठेका/लाईसेन्स स्वीकार होने पर नियमानुसार जिला पंचायत की शर्तो के अनुरूप निर्धारित स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा। जिसका पूर्ण व्यय ठेकेदार/लाईसेन्सी को करना होगा।
12. ठेकेदार/लाईसेन्सी को उपविधियों का पालन अक्षरशः करना होगा। इसके अतिरिक्त शासन/आयुक्त द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
13. ठेकेदार/लाईसेन्सी तथा जिला पंचायत के मध्य कोई विवाद बनता है तो उसमें अध्यक्ष, जिला पंचायत शमाली का निर्णय अन्तिम तथा दोनो पक्षो को मान्य होगा।
14. नीलाम समिति नीलामी के समय कोई नयी शर्त लगा सकती है अथवा किसी शर्त को शिथिल कर सकती है।
15. नीलाम समिति नीलाम के समय उचित बोली न आने पर नीलाम स्थगित कर सकती है तथा बोलीदाताओ की जमानत वापस कर दी जायेगी। जिसमें बोलीदाता का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
16. जिला पंचायत सुनवाई का अवसर देकर किसी भी स्वीकृत नीलाम को किसी भी समय निरस्त करने की अधिकारी होगी।

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत, शामली

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, शामली

अध्यक्ष
जिला पंचायत, शामली

17. ठेकेदार/लाईसेन्सी जिला पंचायत शामली द्वारा निर्धारित दरो पर ही वसूली करेगा। यदि वह अधिक धन वसूल करता है तो जांचोपरान्त सही पाये जाने पर उसके द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुए पुनः ठेका/लाईसेन्स नीलाम करने की कार्यवाही की जायेगी और पुनः नीलामी में यदि जिला पंचायत को कोई आर्थिक हानि होती है तो उसकी भी वसूली/भरपाई भू–राजस्व के माध्यम से ठेकेदार/लाईसेन्सी से की जायेगी।

18. जिला पंचायत शामली द्वारा लिये जाने वाले शुल्क की दरे निम्न प्रका होगी –

वाहन का नाम	शुल्क
1– पशुओं द्वारा खीचे जाने वाली गाडी	50.00 प्रति फेरा
2– मानव चलित नाव	20.00 प्रति फेरा
3– ट्रैक्टर–ट्राली (2 टायर वाली)	160.00प्रति फेरा
4– ट्रैक्टर–ट्राली (2 टायर से अधिक)	265.00 प्रति फेरा
5– ट्रक (लाईट गुड्स व्हीकल 6 चक्का)	210.00 प्रति फेरा
6– मिनी ट्रक (लाईट गुड्स व्हीकल)	105.00 प्रति फेरा
7– भारी ट्रक(हैवी गुड्स व्हीकल 10 चक्का या अधिक)	265.00 प्रति फेरा

19. ठेकेदार द्वारा रेट बोर्ड में वसूली स्थल का नाम व पता ठेके की अवधि व ठेकेदार का मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

20. ठेकेदार/लाईसेन्सी को ठेके/लाईसेन्स के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनसाधारण की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए समुचित व्यवस्था अपने खर्चे पर करनी होगी।

21. ठेकेदार द्वारा खनन परिवहन शुल्क वसूली कार्य केवल उद्‌गम स्थल से ही बिना बैरियर लगाये खनन परिवहन शुल्क की वसूली की जायेगी। इस हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग अथवा किसी भी प्रकार के मार्ग पर बैरियर लगाकर अथवा किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर इन मार्गो पर वसूली नही की जायेगी। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य स्थल से खनन परिवहन शुल्क वसूली नही की जायेगी।

22. खनन परिवहन वसूली कार्य इस प्रकार किया जायेगा कि यातायात सुगम और सुचारू रूप से संचालित करेगा व उसमे कोई अवरोध किसी स्थिति में उत्पन्न न हो इसके लिए वीपरीत स्थिति उत्पन्न पर शासन, प्रशासन, अन्य सक्षम

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत, शामली

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत शामली

अध्यक्ष
जिला पंचायत शामली

प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का उत्तरदायित्व ठेकेदार/लाईसेन्सी का होगा।

23. ठेकेदार/लाईसेन्सी द्वारा वसूली में लगाये गये कार्मिको को अपर मुख्य अधिकारी द्वारा एक फोटो युक्त पहचान–पत्र जारी कराया जायेगा जो कि उन कर्मियो को स्थल पर प्रदर्शित करना होगा। ठेकेदार/लाईसेन्सी द्वारा नियुक्त कराये गये वसूली कर्मचारियों द्वारा उपविधि/नीलाम शर्तो का उल्लंघन करने पर समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार/लाईसेन्सी का स्वयं का होगा। अर्थात नियुक्त कर्मियो द्वारा उल्लंघन को ठेकेदार/लाईसेन्सी द्वारा ही माना जायेगा।

24. कार्यालय जिलाधिकारी के पत्रांक 2404/ख0वि0–2018–19 दिनांक 28.01.2019 द्वारा जनपद शामली में स्वीकृत खनन क्षेत्रो का विवरण निम्न प्रकार है–
1– बसेडा अहतमाल, 2– नाई नंगला मंगलौरा जदीद, 3– नंगलाराई अहतमाल, 4– मामोर अहतमाल साबिक, 5– मण्डावर–3, 6– मण्डावर–4, 7– इस्सोपुर खुरगान–1, 8– इस्सोपुर खुरगान–2

उपरोक्त स्वीकृत खनन क्षेत्रो के संबंध में मा0 न्यायालय, राज्य सरकार, जिला प्रशासन द्वारा किसी क्षेत्र पर आंशिक/पूर्ण बन्दी करने पर ठेकेदार/लाईसेन्सी कोई समायोजन/अनुतोष पाने का अधिकारी नही होगा।

25. यदि ठेकेदार/लाईसेन्सी द्वारा खनन परिवहन शुल्क वसूली करते समय कानून व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था भंग होती है तो उसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कार्य अधिकारी, जिला पंचायत, शामली

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत शामली

अध्यक्ष
जिला पंचायत शामली

हमारे द्वारा क्र0सं0 01 से 25 तक की खनन परिवहन शुल्क संबंधित सभी शर्तो का पढ व समझ लिया है तथा संबंधित उपविधि को भी समझ लिया है।

1.

2.

3.